बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं० सं०-9/विविध–13–35/2015 /स्वo/पटना, दिनांकः– /डo ललन कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी, सम्प्रति, चिकित्सा पदाधिकारी, आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना के विरूद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के वाद संख्या 258/4/8/2012–JCD दिनांक 08.06.2015 द्वारा केन्द्रीय कारा मोतिहारी में विचाराधीन कैदी आनन्द कुमार वर्मा के मृत्यु के लिए डo ललन कुमार को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई की अपेक्षा की गयी थी।

2. डo कुमार पर विचाराधीन बंदी आनन्द कुमार वर्मा की चिकित्सा में घोर लापरवाही के कारण मृत्यु के आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या 372 (9) दिनांक 06.04.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी ने डo कुमार के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए डo कुमार से विभागीय पत्रांक 454 (9) दिनांक 25.04.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। द्वितीय कारण पृच्छा में डo कुमार द्वारा निम्नांकित बाते कही गईः–

(i) मृत बंदी आनन्द कुमार वर्मा वर्ष 2010 के पूर्व से ही इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा करा रहे थे, जिसका Medical prescription दिनांक 07.12.2010 में उनकी डायग्नोसीस स्पष्ट रूप से अंकित है। इसे समझने के लिए विभागीय चिकित्सा पदाधिकारी की मदद ली जा सकती है।

(ii) डायग्नोसिस मेरे द्वारा नहीं किया गया और मृत बंदी वर्मा का Diagnosis केन्द्रीय कारा, मोतिहारी में किया जाना सम्भव भी नहीं था।

(iii) मृत बंदी वर्मा अपनी दवा एवं इंसुलिन साथ लेकर आए थे और दवा घटने पर स्थानीय क्रय भी किया गया।

(iv) Magisterial enquiry report में स्पष्ट रूप से अंकित है कि बोर्ड के गठन करने वाले पदाधिकारी एवं तत्कालीन सिविल सर्जन, सदर अस्पताल, मोतिहारी द्वारा मृत बंदी आनन्द कुमार वर्मा को चिकित्सा हेतु मोतिहारी से बाहर नहीं भेजकर कर्तव्य में लापरवाही बरती गई।

(v) संचालन पदाधिकारी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, के द्वारा इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली के पूर्जा का अध्ययन किया गया है और उनके द्वारा पाया गया कि किडनी की बीमारी अंतिम स्थिति में थी जो लाईलाज है। डo कुमार के द्वारा दिनांक 04.12.2011 से दिनांक 24.12.2011 तक ही बंदी आनन्द कुमार वर्मा की चिकित्सा की गई। उसके बाद उसे रेफर कर दिया गया। इतनी अल्पावधि में इतनी गलतियाँ करना सम्भव नही था।

तदालोक में सम्पूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त डo कुमार अपने प्रतिउत्तर में जिन बिन्दुओं एवं बचाव बयान का उल्लेख किया गया उसे संतोषजनक पाते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डo ललन कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी केन्द्रीय कारा, मोतिहारी, सम्प्रति, चिकित्सा पदाधिकारी आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना को विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1319(9) स्व०,पटना, दिनांकः– 18/12/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ उप सचिव, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/पटना/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी/पटना/जिला पदाधिकारी मोतिहारी/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा० ललन कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी, सम्प्रति, चिकित्सा पदाधिकारी, आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वा० के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.12.18

सरकार के उप सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।